भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 976
05 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना

†976. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;
(ग) महाराष्ट्र राज्य में सहायता अनुदान के लिए पात्र लाभार्थियों की श्रेणी क्या है और इसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;
(घ) देश में सृजित परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में स्थापित सुविधाओं के प्रकार क्या हैं और ऐसी सुविधाओं की जिला-वार स्थिति क्या है; और
(ङ) उक्त योजना ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में फसल कटाई के बाद होने वाले घाटे को कम करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने में कितना योगदान दिया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत घटक योजना - एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) का उद्देश्य फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्य वर्धन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि गैर-बागवानी उपज, डेयरी, मांस, पॉल्ट्री, और समुद्री/मछली (झींगा को छोड़कर) की फसलोत्तर हानि को कम किया जा सके। शीत श्रृंखला योजना एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला और शीत श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों को खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजार से जोड़ने में भी सक्षम बनाती है, जिससे किसानों को लाभकारी कीमतें और उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों की वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

शीत श्रृंखला योजना के प्रमुख घटक हैं:

(i) खेत स्तरीय अवसंरचना (एफएलआई)

(ii) प्रसंस्करण केंद्र (अनिवार्य घटक)

(iii) वितरण केंद्र

(iv) रेफ्रिजरेटेड वैन/ रेफ्रिजरेटेड ट्रक/ इन्सुलेटेड वैन/ मोबाइल इन्सुलेटेड टैंकर

शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, शीत श्रृंखला परियोजनाओं को एफएलआई और प्रसंस्करण केंद्र के साथ वितरण हब (या) रीफर/इन्सुलेटेड व्हिकल्स के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के अलावा, दिनांक 06.08.2024 के मौजूदा शीत श्रृंखला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन बहु उत्पाद खाद्य प्रदीप्पन इकाई या एकीकृत बहु उत्पाद खाद्य प्रदीप्पन इकाई स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत 71 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ग): शीत श्रृंखला समाधानों में व्यावसायिक हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति / केंद्रीय और राज्य पीएसयू / संयुक्त उद्यम / एनजीओ / सहकारी समिति / स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) / सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ / सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) / साझेदारी फर्म / स्वामित्व फर्म और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करने वाले भी शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत आवेदन करने और इसके लाभ उठाने के पात्र हैं।

शीत श्रृंखला योजना के प्रारम्भ से अब तक महाराष्ट्र राज्य में 77 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को कार्यान्वित्त करने के लिए अनुदान सहायता / सब्सिडी के रूप में 539.78 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। 539.78 करोड़ रुपये की अनुमोदित अनुदान सहायता/सब्सिडी में से, अब तक महाराष्ट्र राज्य में शीत श्रृंखला योजना के लाभार्थियों को सीधे 454.88 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(घ): देश भर में 302 पूर्ण शीत श्रृंखला परियोजनाओं से सृजित सुविधाओं के प्रकारों के साथ परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में और महाराष्ट्र राज्य में 58 पूर्ण शीत श्रृंखला परियोजनाओं से सृजित ऐसी सुविधाओं का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): शीत श्रृंखला योजना के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादों/वस्तुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ाकर उनके प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाकर फसलोत्तर हानि को कम करने और उन्हें महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर के उपभोक्ताओं के लिए वर्ष भर उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। इसके अलावा, दिनांक 31.01.2026 तक, शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत देश भर में 401 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 77 परियोजनाएं शामिल हैं। 401 अनुमोदित परियोजनाओं में से, 302 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे पूरे देश में 8,13,588 रोजगार सृजित हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 58 पूर्ण शीत श्रृंखला परियोजनाओं से 1,56,252 रोजगार शामिल हैं।

दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध- I

देश भर में 302 पूर्ण शीत श्रृंखला परियोजनाओं से सृजित सुविधाओं के प्रकारों के साथ परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का राज्य-वार विवरण

क्र.स.	राज्य	सृजित सुविधाएँ											कुल परिरक्षण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	कुल प्रसंस्करण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
		दूध / भंडारण प्रसंस्करण (प्रति दिन लाख लीटर)	ब्लास्ट फ्रीजर (एमटी / बैच)	राइपनिंग चैंबर (एमटी / दिन)	मोबाइल प्री कूलर (संख्या)	कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की संख्या	आईक्यूएफ (एमटी / घंटा)	प्री-कूलिंग चैंबर (एमटी / दिन)	संग्रहण केंद्र / बीएमसी / आउटलेट (संख्या)	छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग लाइन (एमटी / घंटा)	रीफर केरियर्स और टैंकर (संख्या)	डीप फ्रीजर (सं.)		
1	आंध्र प्रदेश	3.15	8.75	10	-	28	19.15	32.00	19	32.25	161	1	1.32	2.70
2	अंडमान और निकोबार	-	5	-	-	2	-	-	-	1	3	-	0.02	0.27
3	अरुणाचल प्रदेश	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	0.03	0.11
4	असम	-	-	-	-	4	0.75	-	5	-	19	-	0.24	0.04
5	बिहार	1.30	100	-	-	1	-	-		5	5	-	1.10	5.89
6	छत्तीसगढ	-	-	20	-	3	-	20	2	1	6	-	0.26	0.00
7	गुजरात	24.20	22	635	3	25	26.9	46	32	59	86	4	1.57	11.78

क्र.स.	राज्य	सृजित सुविधाएँ											कुल परिरक्षण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	कुल प्रसंस्करण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
		दूध / भंडारण प्रसंस्करण (प्रति दिन लाख लीटर)	ब्लास्ट फ्रीजर (एमटी / बैच)	राइपनिंग चैंबर (एमटी / दिन)	मोबाइल प्री कूलर (संख्या)	कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की संख्या	आईक्यूएफ (एमटी / घंटा)	प्री-कूलिंग चैंबर (एमटी / दिन)	संग्रहण केंद्र / बीएमसी / आउटलेट (संख्या)	छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग लाइन (एमटी / घंटा)	रीफर केरियर्स और टैंकर (संख्या)	डीप फ्रीजर (सं.)		
8	हरियाणा	11.28	24	449		28	9.5	12	272	28	96	2	1.64	6.07
9	हिमाचल प्रदेश	0.50	1	-	3	22	3	21.33	16	34	59	1	0.95	0.40
10	जम्मू और कश्मीर	0.48	3	-	1	5	-	70	5	15.1	33	-	0.16	0.34
11	कर्नाटक	3.36	101.72	50		19	2.5	16	17		54	-	0.86	6.90
12	केरल	1.00	-	-	-	5	6	-	-	12	31	-	1.25	0.70
13	मध्य प्रदेश	1.00	26	-	2	12	8	263	7	13.5	25	-	0.57	2.21
14	महाराष्ट्र	62.55	355.53	3150	11	81	57.75	317	589	126.05	299	1	5.27	45.94
15	मणिपुर	-		100	-	5	-	-	-	-	3	-	0.09	0.00
16	मिजोरम	-	6	-	-	5	-	-	-	-	40	-	0.02	0.32
17	नागालैंड	-	5.00	-	-	3	1.00	-	-	2.00	7	-	0.03	0.32
18	उड़ीसा	-	435	-	-	6	4.55	-	-	4	30	15	0.36	0.48

क्र.स.	राज्य	सृजित सुविधाएँ											कुल परिरक्षण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	कुल प्रसंस्करण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
		दूध / भंडारण प्रसंस्करण (प्रति दिन लाख लीटर)	ब्लास्ट फ्रीजर (एमटी / बैच)	राइपनिंग चैंबर (एमटी / दिन)	मोबाइल प्री कूलर (संख्या)	कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की संख्या	आईक्यूएफ (एमटी / घंटा)	प्री-कूलिंग चैंबर (एमटी / दिन)	संग्रहण केंद्र / बीएमसी / आउटलेट (संख्या)	छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग लाइन (एमटी / घंटा)	रीफर केरियर्स और टैंकर (संख्या)	डीप फ्रीजर (सं.)		
19	पंजाब	10.30	8	-	-	39	25.7	66	195	49	128	342	1.70	5.71
20	राजस्थान	7.46	2	-	-	23	5.8	166	40	12.05	63	3	1.31	3.24
21	तमिलनाडु	3.10	66	180	-	36	8.25	5	258	2	63	5	1.05	5.22
22	तेलंगाना	8.80	50	40	-	14	7	-	598	6	56	-	0.56	6.40
23	उत्तर प्रदेश	10.50	49.70	60	1	38	29.6	-	704	33.00	120	729	1.87	8.25
24	उत्तराखंड	0.50	3.00	1100	4	61	67.50	52.00	80	59.00	87	39	3.03	4.00
25	पश्चिम बंगाल	-	21.6	-	-	25	9	90	28	10	56	-	2.07	1.65
	कुल	**149.48**	**1295.30**	**5950**	**25**	**491**	**291.95**	**1176.03**	**2871**	**505.35**	**1532**	**1142**	**27.31**	**118.94**

दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध- II

महाराष्ट्र राज्य में 58 पूर्ण शीत श्रृंखला परियोजनाओं से सृजित सुविधाओं के प्रकारों के साथ परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का जिला-वार विवरण

क्र.स.	जिला	सृजित सुविधाएँ											कुल परिरक्षण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	कुल प्रसंस्करण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
		दूध / भंडारण प्रसंस्करण (प्रति दिन लाख लीटर)	ब्लास्ट फ्रीजर (एमटी / बैच)	राइपनिंग चैंबर (एमटी / दिन)	मोबाइल प्री कूलर (संख्या)	कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की संख्या	आईक्यूएफ (एमटी / घंटे)	प्री-कूलिंग चैंबर (एमटी / दिन)	संग्रहण केंद्र / बीएमसी / आउटलेट (संख्या)	छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग लाइन (एमटी / घंटे)	रीफर केरियर्स और टैंकर (संख्या)	डीप फ्रीजर (सं.)		
1	अहमद नगर	3.00	-	-	-	1	-	-	34	-	12	-	-	1.13
2	अमरावती	-	-	-	-	2	-	-		-	20	-	0.15	0.00
3	चंद्रपुर	0.40	-	-	-	0	-	-	2	-	2	-	-	0.15
4	कोल्हापुर	2.50	-	-	-	2	-	-	10	-	6	-	-	0.94
5	लातूर	0.00	2.00	40		1	-	18	-	-	4	-	0.15	0.11
6	मुंबई	0.00	5.83	100	1	3	-	32	1	1	6	-	0.49	0.31
7	नागपुर	0.00	-	120	-	10	23.2	-	8	4	18	-	1.03	0.28
8	नासिक	3.00	2.50	2200	4	18	18	158	62	61	54	-	0.64	2.24
9	नवी मुंबई	0.00	60.00	100	-	2	18	-	-	17.25	12	-	0.35	4.21
10	पालघर	1.00	200.00	-	-	2	-	-	113	-	5	-	0.01	11.18
11	पुणे	42.80	36.60	50	-	11	7	36	115	11	44	1	0.58	18.52

क्र.स.	जिला	सृजित सुविधाएँ											कुल परिरक्षण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	कुल प्रसंस्करण (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
		दूध / भंडारण प्रसंस्करण (प्रति दिन लाख लीटर)	ब्लास्ट फ्रीजर (एमटी / बैच)	राइपनिंग चैंबर (एमटी / दिन)	मोबाइल प्री कूलर (संख्या)	कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की संख्या	आईक्यूएफ (एमटी / घंटे)	प्री-कूलिंग चैंबर (एमटी / दिन)	संग्रहण केंद्र / बीएमसी / आउटलेट (संख्या)	छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग लाइन (एमटी / घंटे)	रीफर केरियर्स और टैंकर (संख्या)	डीप फ्रीजर (सं.)		
12	रायगढ़	0.00	21.60	-	2	12	2.25	-	5	13	52	-	1.25	1.29
13	सांगली	0.50		-	-	0	-	-	6	-	8	-	-	0.19
14	सतारा	2.95	12.00	-	-	6	2.5	26	19	5.8	22	-	0.36	1.90
15	सोलापुर	3.40	0.50	500	-	3	-	-	103	0	13	-	0.06	1.31
16	श्रीरामपुर	3.00	-	-	-	2	-	-	110		9	-	0.01	1.13
17	ठाणे	-	14.50	40	2	6	4.8	47	1	13.00	12	-	0.19	1.04
		62.55	**355.53**	**3150**	**9**	**81**	**75.75**	**317.00**	**589**	**126.05**	**299**	**1**	**5.27**	**45.94**